धर्मेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में दिनांक–19.11.2018 के पूर्वाह्न 11:00 बजे मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायकों के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु काउन्सेलिंग से संबंधित आवेदकों द्वारा प्राप्त दावा–आपत्ति के निष्पादन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति–

1. जिला पदाधिकारी, जमुई।
2. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई।
3. उप निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई।
4. जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, जमुई।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4046/पं0रा0, दिनांक–25.07.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल –सह–आई0टी0 सहायकों के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने का निदेश है। उक्त पत्र द्वारा ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार चार पंचायत पर एक की दर से लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक एवं चार पंचायत पर एक की दर से तकनीकी सहायक के पद स्वीकृत किये गये हैं। उक्त के आलोक में जमुई जिलान्तर्गत कुल 153 ग्राम पंचायतों में चार पंचायत पर एक की दर से कुल 38 लेखापाल– सह–आई0टी0 सहायक के पद स्वीकृत हैं एवं चार पंचायत पर एक की दर से कुल 38 तकनीकी सहायक के पद स्वीकृत हैं।
2. उक्त निदेश के आलोक में तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायकों के पद पर नियोजन हेतु जिला स्तर पर मेधा सूची तैयार करने हेतु प्रत्येक एक पद पर दो अभ्यर्थियों को कोटिवार दिनांक–10.11.2018 को जिला के अधिकारिक वेबसाईट **https://jamui.nic.in** पर **Couselling list** प्रकाशित/परदर्शित कर दिया गया है।

परदर्शित **Couselling list** में दिनांक–17.11.2018 के संध्या 05:00 बजे तक अभ्यर्थियों से दावा–आपत्ति की माँग की गयी जिसके आलोक में तकनीकी सहायक के पद पर नियोजन से संबंधित 03 आवेदन एवं लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद पर 05 प्राप्त हुए है।

दावा–आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर समिति द्वारा गहन विचार विमर्श के पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया है।

तकनीकी सहायको के पदों पर नियोजन से संबंधित

क्र0	**Application ID** संख्या	आवेदक का नाम	आपत्ति का विषय	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1	**TAT/0078798**	सिन्टु कुमार	आरक्षण कोटि **EBC** से **BC** करने के संबंध में। आवेदक वरीयता सूची में क्रमांक 74 दर्ज है। जबकि **EBC** आरक्षण कोटि में **Couselling** हेतु क्रमांक 72 तक बुलाया गया है। जबकि **BC** के आरक्षण कोटि में क्रमांक 77 तक **Couselling** हेतु बुलाया गया है। आवेदक का कहना है कि साईबर कैफे के	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–6219 दिनांक– 17.11.2018 में स्पष्ट है कि जिस श्रेणी में फार्म भरा गया है उसका प्रमाण पत्र नहीं देने पर उन्हे सामान्य श्रेणी माना जायेगा। सामान्य कोटि **Couselling** हेतु क्रमांक 16 तक बुलाया गया है। अतः इनका दावा

(1)

			गलती के कारण उनका आरक्षण कोटि **BC** से **EBC** कर दिया गया है। फलस्वरूप उनका **Couselling** हेतु चयन नही किया गया है। अतः इसे सुधार कर मुझे **Couselling** में शामिल किया जाय।	खारिज करते हुए सामान्य कोटि में रखा जाता है।
2	**TAT/0014761**	इन्द्रदेव कुमार	आवेदक इन्द्रदेव कुमार के द्वारा आवेदन में दिव्यांग दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि मैं दिव्यांग श्रेणी में हुँ। इस कारण मुझे **Couselling** हेतु बुलाया जाय। आवेदक अनुसूचित जाति से संबंधित है तथा प्राईवेट कॉलेज से सिविल से डिप्लोमा किए हुए है।	**Couselling** हेतु अनुसूचित जाति कोटि से अंतिम वरीयता क्रमांक–83 तक बुलाया गया है। जबकि आवेदक का वरीयता क्रमांक–143 है। चुंकि आवेदन में इनके द्वारा दिव्यांगता संबंधी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इन्हे इस श्रेणी में नहीं रखने का निर्णय लिया गया है।
3	**TAT/0006032**	सुप्रिया राज	आवेदक के द्वारा कहा गया है कि उनका आवेदन अनारक्षित महिला वर्ग हेतु है। जबकि आरक्षित वर्ग कुमार देव जो कि पुरूष है को महिला बनाकर अनारक्षित पद पर चयन हुआ है। जिनका चयन गैरवाजिब है।	महिला अनारक्षित वर्ग में **Couselling** हेतु वरीयता क्रमांक 200 तक वाले को बुलाया गया है। जबकि आवेदिका का वरीयता क्रमांक 332 है। जहाँ तक कुमार देव पुरूष का चयन का प्रश्न है उनके आवेदन में महिला दिखाया गया है एवं **Couselling** के पूर्व यह स्थापित करना कि वे पुरूष है। जबकि उनके आवेदन में महिला अंकित है यह उचित नहीं था। कुमार देव का चयन अनारक्षित महिला बिहार राज्य के अधीन सरकारी पॉलटेनिक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों की श्रेणी में हुआ है। जिनका वरीयता क्रमांक 334 है। चुँकि आवेदिका उत्तराखण्ड राज्य से प्राईवेट कॉलेज से डिप्लोमा पास किए है। अतः अनारक्षित महिला बिहार राज्य के अधीन सरकारी पॉलटेनिक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमा धारी अभ्यर्थियों की श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा सकता है तथा इनका आवेदन खारिज किया जाता है।

(2)

क्र0	Application ID संख्या	आवेदक का नाम	आपत्ति का विषय	समिति का निर्णय
1	2	3	4	5
1	**AIT/0100252**	विकास कुमार महतो	आवेदक का कहना है कि साईवर कैफे वाले फार्म भरने में आरक्षण गलती के कारण **OBC** के जगह **EBC** कर दिया गया है एवं 800 का मार्क्स के जगह 1500 कर दिया गया है। जिसके कारण मेरा मैरिट लिस्ट में सीरियल नं0–74 कर दिया गया है। जो क्रमांक–16 पर होना चाहिए था।	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–6219 दिनांक–17.11.2018 में स्पष्ट है कि जिस श्रेणी में फार्म भरा गया है उसका प्रमाण पत्र नहीं देने पर उन्हे सामान्य श्रेणी माना जायेगा। सामान्य कोटि **Couselling** हेतु क्रमांक 36 तक बुलाया गया है। जबकि इनका वरीयता क्रमांक–74 है। अतः इनका दावा खारिज किया जाता है।
2	**AIT/0008094**	मो0 बबलु अंसारी	आवेदक का कहना है कि मै अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि का अभ्यर्थी हूँ। त्रुटिवश मेरे द्वारा सामान्य कोटि का चयन हो गया था। अगामी दिनांक–20.11.2018 को जो **Couselling** होगी उस सूची में मेरा नाम अंकित नहीं है। जबकि मेरा कुल अंक 84.75 प्रतिशत है।	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–6219 दिनांक–17.11.2018 में स्पष्ट है कि जिस श्रेणी में फार्म भरा गया है उसका प्रमाण पत्र नहीं देने पर उन्हे सामान्य श्रेणी माना जायेगा। सामान्य कोटि **Couselling** हेतु क्रमांक 36 तक बुलाया गया है। जबकि आवेदक का वरीयता क्रमांक–69 है। अतः इनका दावा खारिज किया जाता है।
3	**AIT/0049322**	प्रिति कुमारी	आवेदिका का कहना है कि मैं ग्राम–नूमर, थाना–बरहट, जिला–जमुई के स्थायी निवासी हूँ। मेरा वरीयता क्रमांक–134 है। मेरा कुल अंक–80 प्रतिशत है के वाबजूद मेरे से कम अंक वाले अभ्यर्थी को **Couselling** हेतु बुलाया गया है।	आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र में **State of Domicile** में झारखण्ड राज्य भरा गया है। पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–6219 दिनांक–17.11.2018 में स्पष्ट है कि जिस श्रेणी में फार्म भरा गया है उसका प्रमाण पत्र नहीं देने पर उन्हे सामान्य श्रेणी माना जायेगा। आवेदिका द्वारा आरक्षण कोटि अनुसूचित जाति अंकित किया गया है, परन्तु डोमिसाईल स्टेट झारखण्ड अंकित किया गया है। झारखण्ड डोमिसाईल वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः इन्हे अनारक्षित महिला की श्रेणी में रखा गया है। अनारक्षित कोटि महिला को **Couselling** हेतु क्रमांक 53 तक बुलाया गया है। जबकि आवेदिका का वरीयता क्रमांक–134 है। अतः इनका दावा खारिज किया जाता है।

(3)

4	AIT/0018921	रंजीत कुमार	आवेदक का कहना है कि मेरा मेधा अंक 85.12 प्रतिशत है तथा मैं **EBC** कोटि का अभ्यर्थी हूँ, परन्तु **Couselling** हेतु चयनित सूची में मेरा नाम प्रकाशित नहीं किया गया है।	लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद पर नियोजन हेतु **Couselling** के लिए चयनित **EBC** कोटि में वरीयता सूची क्रमांक–65 (प्रतिशत 85.38) तक को बुलाया गया है एवं आवेदक का वरीयता क्रमांक–68 है एवं उनका प्रतिशत 85.12 है। अतः इनका दावा खारिज किया जाता है।
5	AIT/0102564	अमित कुमार	आवेदक का कहना है कि कही भी विज्ञापन में यह नहीं कहा गया है कि जमुई में **Freeedom fighter** कोटा नहीं है। वहॉ ऐसे कोई आवेदन ना करे जबकि जमुई की आवेदिकों की लिस्ट में **Freeedom fighter** कॉलम में **Yes** भी दिख रहा है। सिर्फ एक ही जगह आवेदन करना था। तब तो मैं कही आवेदन भी नहीं कर पाउगॉ।	मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जमुई जिला के लिए लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक की पदों की संख्या–38 के लिए रोस्टर बिन्दु 58 से 95 तक निर्धारित किया गया है। स्वतंत्रता सैनानियो के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उक्त के आधार पर 50 पद पर 01 पद स्वतंत्रता सैनानियो के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए आरक्षित होता है। चुँकि जमुई जिला में 38 पद हेतु नियुक्त करनी है। जबकि इस जिला के लिए आरक्षण बिन्दु 58 से 95 तक निर्धारित किया गया है। जिसके कारण उक्त कोटि में **Couselling** हेतु अभ्यर्थी को नहीं बुलाया गया। इस संबंध में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना से मार्ग दर्शन की माँग करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि जमुई जिला में स्वतंत्रता सैनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का पद बनता है या नहीं अतः मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उक्त कोटि से **Couselling** की जायेगी।

अन्त में जिला पदाधिकारी द्वारा सधन्यवाद के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/11/18 19/11/18 19/11/18

जि0अ0कल्याण पदा0 जमुई। | उप निर्वा0 पदा0 जमुई। | जि0पं0रा0पदा0 जमुई। | उप विकास आयुक्त जमुई। | जिला पदाधिकारी, जमुई।

19/11/18

(4)

ज्ञापांक 970 /पं0, दिनांक- 19/11/2018

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही की प्रति जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3. आई0टी0 प्रबंधक, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही की प्रति सभी संबंधित अभ्यर्थियों को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

19/11/18

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

ज्ञापांक 970 /पं0, दिनांक- 19/11/2018

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
जमुई।
19/11/18